

अति-आवश्यक/समयबद्ध

क्रमांक 1766-87

जी0डी0ओ0/

दिनांक 13-1-2020

प्रेषक

महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला ।

प्रेषित

1. उप-निदेशक,  
सघन पशुधन विकास परियोजना,  
अम्बाला, भिवानी, गुड़गांव, जीन्द, करनाल, कुरुक्षेत्र व सिरसा ।
2. उप-निदेशक,  
पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
वरखी-दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, हिसार, झज्जर, कैथल, मेवात-नूह,  
नारनौल, पानीपत, पंचकूला, पलवल, रोहतक, रिवाड़ी, सोनीपत व यमुनानगर ।

विषय:- पशुओं में 100 प्रतिशत टैगिंग का कार्य करने बारे ।

यादी:

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि विषयवर्णित मामले में मास दिसम्बर, 2019 तक रिपोर्ट सभी अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त हो चुकी है । अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित 100 प्रतिशत टैगिंग कार्य की रिपोर्ट प्रतिमाह संलग्न प्रोफार्मा में भरकर शीघ्रातिशीघ्र निदेशालय को [E-mail\\_gdobranch@gmail.com](mailto:E-mail_gdobranch@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि रिपोर्ट भारत सरकार को भिजवाई जा सके ।

### District wise report regarding tagging of Animals.

Sr. No.	Distt.	Total No. of Tag Supplies	Total No. of Animal population	Tagging done	Balance Tag

देरी के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे ।

कृते: महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग,  
हरियाणा, पंचकूला ।